न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 102/2018 जीसीएमएस **संख्या 2018/00070**

1. श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री रामेश्वर मीना दत्तक पुत्री श्रीनारायण मीना, जाति मीना, निवासी–ग्राम वाटिका डांग्यावाली ढाणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान, मूल निवासी–ग्राम नांगलपूरण तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

–अपीलार्थीया

बनाम

1. शंकर पुत्र स्व. श्री नानगा मीना, जाति मीना निवासी ग्राम नांगलपूरण, तहसील चाकसू जिला जयपुर ।
2. श्रीमती श्रवणी पत्नी श्री भोमाराम पुत्री स्व. श्री नानगा मीना, ग्राम बसेडी तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. श्रीमती गेंदी पत्नी स्व. राम सहाय पुत्री स्व. श्री नानगा. (मृतक)
   3/1 कैलाश चन्द मीना पुत्र स्व. रामसहाय मीना
   3/2 गणेश नारायण मीना पुत्र स्व. रामसहाय मीना
   3/3 श्रीमती कैलाशी मीना पुत्री स्व. रामसहाय मीना
   समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम/पोस्ट–नांगल सुसावतान, ढाणी ध्यावणा तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान– 302028
4. रणजीता पुत्र स्व. श्री भगवान मीना
5. नारायण पुत्र स्व. श्री भगवान मीना
6. श्रीमती मन्नी पत्नी श्री फैलीराम पुत्र स्व. भगवान मीना
7. श्रीमती पांची पत्नी स्व. भगवान मीना (फौत – नाम हजफ)
   समस्त जाति मीना, निवासीगण ग्राम नांगलपूरण, पोस्ट बाड़ा पदमपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान– 303903
8. मंगला पुत्र स्व. नानगा मीना (फौत)
   8/1 ग्यारसी देवी पत्नी जगदीश नारायण मीना निवासी ग्राम बास भगवतपुरा, पोस्ट कोटखावदा तहसील चाकसू जिला जयपुर
   8/2 कौशल्या देवी पत्नी सूरज मीना निवासी ग्राम बास भगवतपुरा पोस्ट जिला जयपुर कोटखावदा तहसील चाकसू
   8/3 धापू देवी पत्नी स्व. रामगोपाल मीना निवासी प्लाट नं. बी–10, जयकिशन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर
   8/4 छाजू मीना पुत्र स्व. मंगला मीना निवासी ग्राम नांगलपूरण पोस्ट वाडा पदमपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर
   8/5 रामप्यारी देवी पत्नी हनुमान सहाय मीना निवासी ग्राम चतरपुरा पोस्ट देवगांव तहसील बस्सी जिला जयपुर
9. पटवारी हल्का ग्राम बल्लूपुरा तहसील चाकसू, जिला जयपुर राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

–प्रत्यर्थीगण

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 08.02.2018 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) एल. आर. एक्ट 1956 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान

उपस्थित–

1. श्री रामवतार मौर्य वकील अपीलान्ट
2. श्री कालूराम मीना वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री हरिनारायण वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2, 3, 4, 6, 8/1 से 8/4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –16.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चाकसूके निर्णय दिनांक 08.02.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नांगलपुरम तहसील चाकसू जिला जयपुर में कृषि खातेदारी भूमि मृतक श्रीनारायण पुत्र नानगराम की विरासत का नामान्तरकरण मृतक श्रीनारायण के अविवाहित फौत होने पर तहसीलदार चाकसू द्वारा मृतक श्रीनारायण के पिता स्व० नानगराम के समस्त वारिस मंगलराम, शंकरलाल, पि० नानगराम, श्रवणी, गेन्दी पुत्रिया नानगराम, पांची देवी पत्नि भगवान सहाय रणजीत, हरिनारायण पित० भगवान सहाय मन्नी पुत्री भगवान सहाय, लाली देवी पत्नि जयनारायण जाति मीना को विधिक वारिसान मानते हुए सर्जरा अनुसार मृतक श्रीनारायण के हिस्से का नामान्तकरण खोलने हेतु आदेश दिनांक 08.02.2018 को दियेगये।

3. तहसीलदार चाकसूके उक्त निर्णय दिनांक 08.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती जमना देवी दत्तक पुत्री श्रीनारायण मीनाद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार चाकसूके निर्णय दिनांक 08.02.2018 निरस्त किये जानेएवं स्व. श्रीनारायण की दत्तक पुत्री श्रीमती जमना देवी के हक में वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोले जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि काश्तकार स्व. नानगा मीना की कृषि भूमि ग्राम नांगलपुरम, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में खसरा नम्बरान 357 से 361, 372, 373, 453 459, 465 471, 527, 527/845, 528, 674, 675, 689, 690 कुल खसरा 28 कुल रकबा 6.97 हैक्टेयर है । नानगा मीना की मृत्यु सम्वत 2028 में होने पर स्व. नानगा मीना के विधिक वारिसान चारो पुत्रो भगवान मीना, मंगला मीना, श्रीनारायण मीना व शंकर मीना के नामान्तरण खोला गया तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों का पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा नही होने की वजह से नामान्तरण नहीं खोला गया तथा श्री नारायण के स्वर्गवास के

बाद श्रीनारायण के हिस्से की कृषि भूमि 1.74 हैक्टेयर अर्थात 7 बीघा जमीनश्रीमती जमना देवी मीणा, दत्तक पुत्री व वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तरण खुलवाने की हकदार है।श्री नारायण मीना ने जीवनभर शादी नहीं की थी, इसलिए श्रीनारायण ने अपने जीवनकाल में अपने भाई मंगला की पुत्री श्रीमती जमना देवी को गोद (दत्तक) ले लिया था । श्रीमती जमना देवी ने अपने दत्तक पिता श्रीनारायण की जीवन भर सेवा की तथा भरण–पोषण दिया इसलिए श्रीनारायण ने अपने जीवित मौजूदगी में उक्त आराजीयात 28 बीघा में अपने 1/4 हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि अपनी खुशी व स्वयं की इच्छा से श्रीमती जमना देवी पत्नी रामेश्वर मीणा, निवासी– ग्राम वाटिका डांग्यावाली ढाणी, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के हक में दिनांक 01.12.2011 को प्रथम व अन्तिम वसीयत कर दिया तथा उसी दिन दस्तावेज वसीयतनामा श्रीमती जमना देवी को सम्भला दिया तथा वसीयत करने के कुछ दिनो बाद श्रीनारायण मीणा का जमना देवी के घर पर ही स्वर्गवास हो गया इसलिए स्वर्गवास के बाद श्रीमती जमना देवी ही वसीयत के आधार पर उक्त आराजीयात में काश्तकार स्व श्रीनारायण के सम्पूर्ण हिस्से 7 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरण श्रीमती जमना देवी मीणा अपने हक में रेवेन्यू रिकॉर्ड में खुलवाने की एक मात्र हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. श्रीनारायण के हिस्से की जमीन – भाई मंगला व शंकर, बहिने – श्रवणी व गैंदी भाभी– पांची देवी पत्नी भगवान सहाय, भतीजे– रणजीत व हरिनारायण पिता भगवान सहाय, भतीजी – मन्नी पुत्री भगवान सहाय, अपने भाई के लडके की बहू – लाली देवी पत्नी स्व. जयनारायण के हक में नामान्तरण खोले जाने का आदेश दिया गया तथा श्रीमती जमना देवी मीना दत्तक पुत्री स्व. श्री नारायण मीणा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। जबकि एस.टी. (मीणा समाज) में लडकियों को कोई अधिकार नहीं होते है, उसके बावजूद भी तहसीलदार ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर लड़कियों के हक में नामान्तरण खोलने के आदेश दिये है जो गैर कानूनी व विधि विरूद्ध है । तहसीलदार चाकसू ने विधि विरूद्ध, तथ्यों के विरूद्ध, मूल दस्तावेजो के विरूद्ध, विधि एवं न्यायिक दृष्टान्तों को नजर अन्दाज कर गलत व आलोचनात्मक आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार चाकसू के निर्णय दिनांक 08.02.2018 निरस्त किया जावे एवं स्व. श्रीनारायण की दत्तक पुत्री श्रीमती जमना देवी के हक में वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोले जाने का आदेश फरमाये जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि श्रीमति जमना देवी पत्नि रामेशवर पुत्र मंगलाराम जाति मीना की अपील जरिये वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण खोलने से सम्बंधित है जो मृतक श्रीनारायण को भी जरिये विरासत प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी है। उक्त सम्पति मृतक की स्वर्जित नही होकर पैतृक होने के कारण अपीलांट जमना देवी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।मृतक श्रीनारायण पुत्र नानगराम की विरासत का नामान्तरकरण मृतक श्रीनारायण के अविवाहित फौत होने पर तहसीलदार चाकसू द्वारा श्रीनारायण के पिता स्व0 नानगरामके विधिक वारिसान् की जॉच कर पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत की रिपोर्ट का अवलोकन करके ही स्व० नानगराम के समस्त वारिस मंगलराम, शंकरलाल, पि० नानगराम, श्रवणी, गेन्दी पुत्रिया नानगराम, पांची देवी पत्नि भगवान सहाय रणजीत, हरिनारायण पिता० भगवान सहाय मन्नी पुत्री भगवान सहाय, लाली देवी पत्नि जयनारायण जाति मीना के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये गये हैं।वसीयत ग्रहिता उसके पक्ष मे जारी वसीयत को सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर चुनौती करने के लिए स्वतंत्र है। तथा राजस्व नियमो के मुताबिक मृत खातेदार के समस्त विधिक उत्तराधिकारियो के पक्ष मे नामान्तकरण किए जाने के प्रावधान है। अतः जिनके पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत होना न्यायोचित है । जिसके अनुसार तहसीलदार चाकसू द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत ही मृतक खातेदार श्रीनारायण के अविवाहित होने की स्थिति में श्रीनारायण के पिता स्व0 नानगराम

के विधिक जायज वारिसान् के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 15.03.2018 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार श्रीनारायण पुत्र नानगराम की विरासत को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि मृतक श्रीनारायण को भी उक्त आराजीयात जरिये विरासत प्राप्त हुई है, जो पुश्तैनी है। उक्त सम्पति मृतक की स्वर्जित नही होकर पैतृक होने के कारण तहसीलदार चाकसू द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत ही मृतक खातेदार श्रीनारायण के अविवाहित होने की स्थिति में श्रीनारायण के पिता स्व0 नानगराम के विधिक जायज वारिसान् के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 08.02.2018 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर